न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्या० संख्या–7, मुरादाबाद।
दाण्डिक विविध वाद संख्या–4273 / 2025

1– शांति प्रसाद पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम शाहपुर तिगरी थाना मझोला जिला मुरादाबाद।

बनाम

1– अमित कुमार पुत्र तारेश्वर सिंह निवासी डी0पी0 यादव चौक के पास सेक्टर 2 आवास विकास बुद्धि विहार थाना मझोला जिला मुरादाबाद।

2– उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुरादादाबाद।

दिनांक–12.05.2026

1– वादी मुकदमा की ओर से यह जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–225 / 2020, धारा–420,406,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–मझोला, जनपद–मुरादाबाद में अभियुक्त अमित कुमार की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बंध में इस कथानक के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद के अभियुक्त अमित कुमार की जमानत दिनांक–27.09. 2024 को श्रीमान जी के न्यायालय से सशर्त स्वीकार की गयी थी। जिसमें एक शर्त यह भी थी कि अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा। जमानत आदेश दिनांक–27.09.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त वाद की पत्रावली मा० न्यायालय ऐ०सी० जे०एम० IV के न्यायालय में विचाराधीन है जो कि साक्ष्य में चल रही थी प्रार्थी उक्त वाद में साक्ष्य हेतू दिनांक–12.09.2025, 25.09.2025 व 29.09.2025 को बराबर नियुक्त तिथियों पर उपस्थित हुआ था परन्तु अभियुक्त की ओर से हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात प्रार्थी दिनांक–29.09.2025 को भी मा० न्यायालय में उपस्थित आया तब उक्त नियत तिथि पर न तो अभियुक्त उपस्थित आया और न ही अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुये जिस कारण प्रार्थी का साक्ष्य अंकित नही हो पाया और अभियुक्त के विरूद्ध एन०बी०डब्ल्यू० जारी हुए। उक्त वाद में अभियुक्त व उसके अधिवक्ता महोदय द्वारा विचारण में सहयोग न करने के कारण प्रार्थी साक्ष्य नही दे पा रहा है। अभियुक्त अमित कुमार अपनी जमानत का दुरूपयोग करता चला आ रहा है। जमानत आदेश दिनांक–27.09.2024 में अंकित शर्तो का अभियुक्त अमित कुमार ने उल्लघंन किया है। उक्त वाद का अभियुक्त अमित कुमार पुलिस की पकड से बाहर है इस समय फरार चल रहा है कही विदेश भागने की फिराक में लगा हुआ है इससे पूर्व में भी उक्त वाद के अभियुक्त अमित कुमार के एन०बी०डब्ल्यू० जारी हुये थे परन्तु मा० न्यायालय द्वारा एक अन्तिम अवसर देकर इसके वारेन्ट रिकाल कर दिये थे परन्तु उक्त वाद का अभियुक्त अब पुनः साक्ष्य के स्तर पर विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाद के अभियुक्त अमित कुमार की जमानत को निरस्त किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है।

2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा शान्तिप्रसाद द्वारा थाना मझोला, जिला मुरादाबाद पर प्राथमिकी इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि, "प्रार्थीगण शान्ति प्रसाद, रामकिशोर व शिव कुमार पुत्रगण स्व० भगवानदास निवासी ग्राम शाहपुर तिगरी थाना–मझौला जिला मुरादाबाद के रहने वाले है सीधे सादे अनपढ किसान मजदूर व्यक्ति है महोदय प्रार्थीगण ने शाहपुर तिगरी स्थित अपनी लगभग 4 बीघा पुस्तैनी जमीन गाटा सं0–72अ व 72ब 10 लाख रुपये बीघा की दर से कुल 40 लाख रुपये में बेचीथी जिसकी प्लॉटिंग अमित कुमार पुत्र स्व० श्री तारेश्वर सिह ने की थी। प्रार्थीगण अपनी पुस्तैनी जमीन बेचकर उसके बदले में खेती की अधिक जमीन लेना चाहते थे। यह बात जब अमित कुमार पुत्र तरकेश्वर सिंह को पता चली तो उसने प्रार्थीगण को बहला फुसलाकर समझाया

कि श्री सुनील कुमार व संजीव कुमार की आराजी काश्त रकबई–12.696 हे0 बाबत गाटा सं0–820,826,830,986,139,825,1085,1083 स्थित ग्राम भोपतपुर, तहसील शाहबाद जिला रामपुर जो कि 41,000/– रु० बीधा की दर से 80,36,000/– रु0 मेंमिल जायेगी जिसमे से आधी जमीन आप लोग ले लेना आधी जमीन वह ले लेगा। प्रार्थीगण को विश्वास में लेकर उक्त अमित कुमार ने प्रार्थीगण को, भोपतपुर गाँव मे ले जाकर वैसे ही कोई जमीन दिखा दी और प्रार्थीगण से शाहपुर तिगरी स्थित गाटा सं0–383 में से एक बीघा जमीन लगभग 900 गजमें से 22 लाख रुपये में तय कर जिसका बयनामा दिनांक–04.03.2013 को200 गज मीरा देवी पत्नी निपेन्द्र कुमार व 200 गज सन्दीप कुमार व 300 गजअपनी पत्नी ज्योति चौहान के नाम करा लिया तथा 200 गज प्लॉट 18.05.2013 को विजेन्द्र सिंह रावत तथा कोमल सिंह रावत के नाम करा दिया कथित सुनील कुमार व संजीव कुमार को उक्त के नाम से दिनांक–19.06.2014 को कचहरी मुरादाबाद में बुलाकर स्टाम्प लिखवा लिया और नकद 20 लाख रुपये प्रार्थीगण से ले लिये और 6 माह के अन्दर अपने हिस्से के पैसे कथित सुनील कुमार व संजीव कुमार को अदा कर बयनामा करवाने की बात कही किन्तु संजीव कुमार की आराजी काश्त रकबई–12.696 हे0 बाबत गाटा सं0–820,826,830,986,139,825,1085,1083 स्थित ग्राम भोपतपुर, तहसील शाहबाद जिला रामपुर जो कि 41,000/– रु० बीधा की दर से 80,36,000/– रु0 में मिल जायेगी जिसमे से आधी जमीन आप लोग ले लेना आधी जमीन वह ले लेगा। प्रार्थीगण को विश्वास में लेकर उक्त अमित कुमार ने प्रार्थीगण को भोपतपुर गाँव मे ले जाकर वैसे ही कोई जमीन दिखा दी और प्रार्थीगण सेशाहपुर तिगरी स्थित गाटा सं0–383 में से एक बीघा जमीन लगभग 900 गजमें से 22 लाख रुपये में तय कर जिसका बयनामा दिनांक–04.03.2013 को200 गज मीरा देवी पत्नी निपेन्द्र कुमार व 200 गज सन्दीप कुमार व 300 गज अपनी पत्नी ज्योति चौहान के नाम करा लिया तथा 200 गज प्लॉट 18.05.2013 को विजेन्द्र सिंह रावत तथा कोमल सिंह रावत के नाम करा दिया कथित सुनील कुमार व संजीव कुमार को उक्त के नाम से दिनांक–19.06.2014 को कचहरी मुरादाबाद में बुलाकर स्टाम्प लिखवा लिया और नकद 20 लाख रुपये प्रार्थीगण से ले लिये और 6 माह के अन्दर अपने हिस्से के पैसे कथित सुनील कुमार व संजीव कुमार को अदा कर बयनामा करवाने की बात कही किन्तु संजीव कुमार की आराजी काश्त रकबई–12.696 हे0 बाबत गाटा सं0–820,826,830,986,139,825,1085,1083 स्थित ग्राम भोपतपुर, तहसील शाहबाद जिला रामपुर जो कि 41,000/– रु० बीधा की दर से 80,36,000/– रु0 में मिल जायेगी जिसमे से आधी जमीन आप लोग ले लेना आधी जमीन वह लेलेगा। प्रार्थीगण को विश्वास में लेकर उक्त अमित कुमार ने प्रार्थीगण को भोपतपुर गाँव मे ले जाकर वैसे ही कोई जमीन दिखा दी और प्रार्थीगण स`शाहपुर तिगरी स्थित गाटा सं0–383 में से एक बीघा जमीन लगभग 900 गजमें से 22 लाख रुपये में तय कर जिसका बयनामा दिनांक–04.03.2013 को 200 गज मीरा देवी पत्नी निपेन्द्र कुमार व 200 गज सन्दीप कुमार व 300 गज अपनी पत्नी ज्योति चौहान के नाम करा लिया तथा 200 गज प्लॉट 18.05.2013 को विजेन्द्र सिंह रावत तथा कोमल सिंह रावत के नाम करा दिया कथित सुनील कुमार व संजीव कुमार को उक्त के नाम से दिनांक–19.06.2014 को कचहरी मुरादाबाद में बुलाकर स्टाम्प लिखवा लिया और नकद 20 लाख रुपये प्रार्थीगण से ले लिये और 6 माह के अन्दर अपने हिस्से के पैसे कथित सुनील कुमार व संजीव कुमार को अदा कर बयनामा करवाने की बात कही किन्त ुकाफी समय निकल जाने पर बयनामा नहीं कराने पर जब प्रार्थीगण ने बार बार बयनामा कराने का तकादा किया तो दिनांक–23.04.2015 का `आई०डी०बी०आई० बैंक मुरादाबाद मे खाता सं0–4483800001380 गजेन्द्र सिंह के नाम में बयनामे हेतु स्टाम्प खरीदने के लिये 4,60,000/–रुपये यह कहकरजमा करवा लिये अभी रजिस्ट्री की हडताल चल रही है और स्टाम्प महंगा होन`की उम्मीद है अभी स्टाम्प ले लेते है और दो माह बाद तुम्हारी रजिस्ट्री करा देंगे, परन्तु फिर भी कोई रजिस्ट्री नही करायी प्रार्थीगण के बार बार तकादा करने पर अमित कुमार ने कुछ दिनो बाद प्रार्थीगण को एक पुराने स्टाम्प पर यह लिखकर दे दिया कि कथित सुनील कुमार व संजीव कुमार जिसने 80,36,000/– रू0 मे जमीन तय हुई थी

71,00,000/–रु० दे दिये है। बाकी शेष 9,36,000/– रु0 15 मार्च 2016 तक देकर बयनामा करवा देगा, लेकिनफिर भी रजिस्ट्री नहीं करायी और कोई न कोई बहाना बनाकर टालते रहे जबप्रार्थीगण ने अमित कुमार से अपने रुपये वापस माँगने का दवाब बनाया तोदिनांक 04.08.2017 को अमित कुमार ने एक और 50 रू0 के स्टाम्प पर यह लिखकर दे दिया कि जो जमीन गाटा सं0–383, लगभग 900 गज 22 लाखरुपये में ली है उसके बदले मे बडे भाई प्रभात कुमार के नाम एक 6 लाख रुपये का चैक सं0–07938 दिनांक–09.08. 2017 प्रथमा बैक एक चैक अपनेखाते से सिंडीकेट बैंक का 4 लाख रुपये का चैक सं0–780883 शिव कुमार केनाम से दिनांक 09.08.2017 को दिया तथा दिनांक–10.09.2017 तक 5,000/–रु0 गज तय करके 750 गज प्लॉट जो कि डिंडौरा गाँव में स्थित है उसकी 3रजिस्ट्री करायेगा और उसे दोनो पक्ष मिलकर बेचेंगे और प्रार्थीगण की रकम अदा कर दी जायेगी और यदि प्रार्थीगण उसकी रजिस्ट्री अपने नाम में करायेगे तो उसकी कीमत 5,000/–रू0 प्रति गज के हिसाब से प्रार्थीगण की रकम मेसे कम हो जायेगी और यह तय हुआ कि उक्त डिडौरा स्थित 750 गज प्लाटकी रजिस्ट्री अमित कुमार दिनांक 10.09.2017 तक प्रार्थीगण के पक्ष में करादेंगे किन्तु बार बार तकादा करने पर भी न तो अमित कुमार व उसके भाई का चैक ही कैश हो पाया और न ही अमित कुमार ने प्रार्थीगण को किसी प्लाट की रजिस्ट्री करायी तथा आज कल का वाद करने प्रार्थीगण को टहलाता रहा। प्रार्थीगण के बार बार तकादा करने पर दिनांक 15.02.2020 को अमित कुमार नेप्रार्थी शिव कुमार बैंक ऑफ बडौदा शाखा बुद्धि विहार का एक चैकसं0–000009 दिनांकित 21.02.2021 का धोखा करके दे दिया जब प्रार्थीगणने यह चैक बैंक मे लगाया तो बैंक वालो ने यह कह कर मना कर दियाकि यह चैक अगले साल का है इसकी शिकायत करने पर जब प्रार्थीगण अमित कुमार के पास गये तो उसने यह कह दिया कि होली के बाद दिनांक15.03.2020 को नकद पैसे ले जाना और चैक वापस दे देना। जब प्रार्थीगण दिनांक 15.03.2020 को शाम लगभग 8 बजे चैक वापस करने व पैसे लेने पहुंचे तो अमित कुमार ने शराब पीकर प्रार्थीगण को गन्दी गन्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।

4– उक्त मामले में अभियुक्त अमित कुमार पुत्र तारेस्वर सिंह की ओर से सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3328/2024 प्रस्तुत किया गया था जिसकों श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 27.09.2024 को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया गया।

5– वादी/अभियोजन की ओर से जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र में आधार लिये गये हैं कि वादी उक्त वाद में साक्ष्य हेतु दिनांक 12.09.2025,25.09.2025 व 29.09.2025 ाके बराबर तिथियों पर उपस्थित था, परन्तु अभियुक्त की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, जिस कारण साक्ष्य अंकित नहीं हो सका। तत्पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी हो गये। अभियुक्त अमित कुमार द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है तथा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है। अतः उसकी जमानत निरस्त करने की कृपा की जाये।

जमानत आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को गुण–दोष के आधार पर इस निष्कर्ष के आधार पर जमानत पर रिहा किया गया था कि "आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि, उसने धोखाधडी करके वादीमुकदमा व उसके भाईयों को सुनील कुमार व संजीव कुमार की ग्राम भोपतपुर, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर में स्थित कथित भूमि खरीदवाने व उक्त जमीन का बैनामा वादी मुकदमा व उसके भाईयों के पक्ष में निष्पादित कराने व स्टाम्प खरीदने के नाम पर कुल 24,60,000/–रूपए हडप लिये। आवेदक/अभियुक्त पर बैनामा कराने व रूपए वापस मांगने पर वादी मुकदमा व उसके भाईयों को गाली–गलौंच करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2024 के अनुसार अंतरिम जमानत पर है तथा अंतरिम जमानत आदेश दिनांक 20.09.2024 केअनुपालन में आवेदक/अभियुक्त सक्षम न्यायालय में आत्मसर्मपण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के नवीनतम दिशा–निर्देशों के आलोक में आरोपित धाराएं अधिकतम सात वर्ष की सजा से दण्डनीय हैं। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।"

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा/अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त द्वारा इस अवधि में किसी साक्षी को डराया गया या धमकाया गया हो। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध जो गैर जमानतीय अधिपत्र जारी थे, अभियुक्त द्वारा उनको दिनांक 27.12.2025 को निरस्त करा लिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Satendra Kumar Antil Vs CBI 2022 SCC Online Supreme Court 825** में यह अवधारित किया गया है कि जमानत प्रदान किया जाना एक नियम है और जेल भेजा जाना अपवाद है।

वादी मुकदमा/अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने जमानत में जो कथन किये गये हैं, उनके सम्बंध में कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार न्यायोचित हैं। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णयज विधि में दी गयी अवधारणा एवं मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र में, मैं कोई बल नहीं पाती हूँ। तद्नुसार जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

9– जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापस हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंचल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–07, मुरादाबाद।
ID N0.-UP6403

दिनांक–12.05.2026